


20.12.2024:- पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी का मुल प्रार्थना पत्र अदम पैरवी / अदम हाजरी खारिज हो चुका है मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डधिकारी
हनुमानगढ

